मामले में सभी हस्तांतरणों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए, दूसरे मामले में कोई प्रावधान नहीं है और किसी भी धारा को सेक्शन 19-बी के किसी भी हिस्से में नहीं पढ़ा जा सकता है। विगत में अधिशेष क्षेत्र के संदर्भ में, अधिनियम की प्रारंभ की तिथि पर, स्थिति स्पष्ट है, लेकिन भविष्य में एक भूमिधर के साथ अधिशेष क्षेत्र के संदर्भ में, सेक्शन 19-बी का ध्यान देते हुए, स्थिति ऐसी नहीं है कि इस तरह के भूमिधर द्वारा होने वाले हस्तांतरण को नजरअंदाज किया जाए या किया जा सकता है। अब, यह नहीं हो सकता कि विधायिका ने इस संदर्भ में अनदेखी की हो, क्योंकि जब सेक्शन 19-बी को अधिनियम में शामिल किया गया था, तो सेक्शन 10-ए की ब धारा पहले से ही वहां थी और संसद के समक्ष थी। यह केवल असुविधाजनकता का तर्क है कि इस दृष्टिकोण पर, किसान जो सेक्शन 19-बी की उप-धारा (1) में उल्लिखित तरीके से भूमि प्राप्त करता है, अधिनियम की प्रारंभिक तिथि के बाद, और पर्याप्त क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र को धारित करने के लिए लाभ उठा सकता है, लेकिन यदि विधायिका इसे नहीं चाहती थी, तो उसे इस स्थिति का सामना करने के लिए धारा 10-ए की तरह की एक धारा विधानित करना था। इस दृष्टिकोण पर, मैं हरबंस सिंह, जे., की विचारधारा से सहमत हूं, और मेरा मानना है कि राजस्व अधिकारियों के आदेश को स्थायी नहीं किया जा सकता क्योंकि धारा 10-बी के तहत किसी भी कदमों से पहले किसान के पास अतिरिक्त क्षेत्र के साथ, वह पहले ही, कानून में अच्छे और वैध रूप से हस्तांतरित कर चुका है।

सिविल संशोधन

रंजीत सिंह सरकारिया, जी. के सामने।

बनारसी दास,—प्रार्थी।

बनारसी दास,—प्रार्थी।

पन्ना लाल और अन्य,—प्रतिद्वंद्वी।

सिविल संशोधन संख्या 31 ऑफ 1968।

12 जनवरी, 1968।

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम अधिनियम V)—धारा 115 और आदेश 1, नियम 10— आदेश 1, नियम 10 के तहत आवेदन खारिज— खारिजी के आदेश के खिलाफ संशोधन— क्या सहेजनीय—आवश्यक और उपयुक्त पार्टियों—अर्थ—कब हो सकता है कि किसी मुकदमे में कोई पक्ष जोड़ा जाए—इस संदर्भ में के रूप में स्थितियां स्पष्ट की गई हैं।

हेल्ड, कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत एक आदेश के खिलाफ संशोधन याचिका खारिज करने के खिलाफ अनुभव योग्य है। अगर उच्च न्यायालय को मिलता है कि आदेश में कोई सामग्रीय अनियमितता या अवैधता है।

हेल्ड, कि सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 1, नियम 10 ने दो प्रकार की पार्टियों के जोड़ने का प्रावधान किया है, यानी, (1) आवश्यक पार्टियों जो कि साथ नहीं जुड़ी होती हैं और जिनके अनुपस्थिति में कोई प्रभावी फैसला नहीं किया जा सकता है, और (2) उपयुक्त पार्टियाँ, जिनकी मौजूदगी महकमे को सुपूर्ण रूप से सभी प्रश्नों का प्रस्तुति और निर्णय करने की क्षमता प्रदान करती है।

धारा 1, नियम 10 के उपनियम (2) के अंतर्गत, एक व्यक्ति को मुकदमे में जोड़ा जा सकता है केवल दो स्थितियों में, यानी, जब वह जुड़ा होना चाहिए था और वह ऐसा नहीं होता है, यानी, जब उसके बिना मुकदमे में पूछें गए प्रश्नों का पूर्ण निर्णय नहीं किया जा सकता है। एक तिहरी पक्ष की व्यक्ति को मुकदमे में जोड़ने का कोई अधिकार नहीं है केवल इसलिए कि ऐसा करने से तीसरे व्यक्ति को एक अलग मुकदमा चाहिए जिसमें वह सीधे और मुख्य रूप से मुकदमे में विवाद में शामिल नहीं होता है। एक व्यक्ति को इसलिए डिफेंडेंट के रूप में जोड़ा नहीं जा सकता केवल इसलिए कि उसे फैसले का प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा।

हेल्ड, कि अदालत को सामान्यतः जब व्यक्ति को मुकदमे के डिफेंडेंट के रूप में जोड़ना नहीं चाहिए जब प्रार्थी उस पर विरोध करता है। कारण यह है कि प्रार्थी डोमिनस लिटिस हैं। वह मुकदमे का मालिक है। उसे उस व्यक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जिसके खिलाफ वह लड़ना नहीं चाहता है और जिससे वह किसी भी राहत नहीं मांगता है। यदि प्रार्थी की विरोधी पार्टियों के जोड़ने के विरोध को नजरअंदाज किया जाए, तो यह तीसरे पक्षों के अवांछनीय प्रयास को प्रोत्साहित करना होगा जो अपनी शिकायतों को सांसदीय मुकदमे में प्रस्तुत करने के लिए एक मुकदमा शुरू करते हैं। धारा 1, नियम 10 के उपनियम (2) में 'मई' शब्द एक विवेक को सूचित करता है। उस विवेक का उपयोग करते समय, अदालतें सदैव प्रार्थी की इच्छाओं को ध्यान में रखेंगी पहले नए डिफेंडेंट को प्रार्थी की सहमति के बिना ही मुकदमे में जोड़ेगी। केवल विशेष प्रकार के मामलों में, जहां अदालत को यह मिलता है कि नये डिफेंडेंट को जोड़ना पूरी तरह से आवश्यक है ताकि वह पार्टियों के बीच विवाद के मामले को पूर्ण रूप से और प्रभावी रूप से निर्णय कर सके, तो वह प्रार्थी की सहमति के बिना एक व्यक्ति को डिफेंडेंट के रूप में जोड़ सकती है।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत आवेदन प्रार्थी की याचिका के पुनरावलोकन के लिए, श्री के। डी। मोहन, वरिष्ठ उप न्यायाधीश, नरनौल, की 28 दिसंबर, 1967, की आवेदन को खारिज करने का आदेश।

राजेंद्र नाथ मित्तल, प्राध्यापक, प्रार्थी के लिए।

निर्णय

सरकारिया, जे.

यह एक सिविल संशोधन है जो एक आदेश के खिलाफ है, जो 28 दिसंबर, 1967 को नरनौल के वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश ने दिया गया था। इसमें प्रार्थी बनारसी दास ने अपना आवेदन खारिज कर दिया गया था, जो नागरिक प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 1 नियम 10 के तहत किया गया था, ताकि वह मुकदमे संख्या 336 में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जा सके, जो पन्ना लाइ और बनवारी लाइ द्वारा श्रीमती चमेली के खिलाफ दायर किया गया था।

श्री बनारसी दास ने नारनौल के उप न्यायाधीश को सूचना दी थी कि उन्होंने श्रीमती चमेली, उधा राम की विधवा, के खिलाफ एक बिक्री समझौते की विशेष प्रदर्शन के लिए एक मुकदमा दायर किया था। उस मुकदमे के पंडुलिप्ति के दौरान, पन्ना लाइ और बनवारी लाइ ने 18 नवंबर, 1967 को उसी चमेली के खिलाफ मुकदमा संख्या 326 दायर किया था, जिसमें उन्होंने चमेली से स्थायी अटकावद्धता के लिए रोकने के लिए दायर किया था, प्लेंट के साथ संलग्न नक्शे में दर्शाए गए क्षेत्र में। वे वैकल्पिक रूप से उस संपत्ति के प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे। उन्होंने अपने अधिकार को दर्ज करने के लिए कहा कि यह चाबुत्र उस संपत्ति का हिस्सा था, जो उनके श्रीमती चमेली के खिलाफ बिक्री समझौते के मुकदमे का विषय था। उन्होंने और भी यह कहा कि पन्ना लाइ और बनवारी लाइ द्वारा चमेली के खिलाफ दायर किया गया मुकदमा मिलावटी था और श्रीमती चमेली ने उस मामले में अपना स्वीकृति द्वारा फैसला दिलाना चाहा था, जिससे उनका बिक्री समझौते के मुकदमे को हानि हो। संक्षेप में, यह दावा किया गया था कि पन्ना लाइ और बनवारी लाइ द्वारा लिया गया निर्णय उसके दावे को अनुपस्तिथ कर सकता था। उप न्यायाधीश ने यह अनुमान लगाया कि बनारसी दास न तो आवश्यक हैं और न ही उचित पार्टी हैं, जिन्हें पन्ना लाइ और दूसरों द्वारा दायर किए गए मुकदमे में डिफेंडेंट के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। उसने इसकी अपील खारिज कर दी।

पहला प्रश्न यह है कि क्या नागरिक प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 1 नियम 10 के तहत यह संशोधन याचिका खारिज करने के खिलाफ है। इस मुद्दे पर न्यायिक विचार में विभाजन है। कुछ उच्च न्यायालयों ने कहा है कि इस तरह के आदेश के खिलाफ कोई संशोधन नहीं

होता है। लेकिन प्राधिकरण का भार मान्यताओं के अनुसार उस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि उच्च न्यायालय संशोधन अनुच्छेद 115 के तहत हस्तक्षेप कर सकता है, अगर उसे पाता चलता है कि आदेश में कोई सामग्रीय अनियमितता या अवैधता है। हालांकि, इस बिंदु पर सीधे विचार नहीं हुआ था, लेकिन इस महान्याय के फैसलों में इसी दृष्टिकोण का गोपन है, जो कि Inder Singh and another v. Hazar Singh and others (1) और Panjab University v. Arya Pratinidhi Sabha, Punjab and others (2), Dewan Bahadur Seth Umed Mai and others v. Chand Mai (3) के रूप में इस महान्याय के फैसलों में छूट भी प्राप्त होती है। मैं इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हाँ में दूंगा।

मामले की गुणवत्ता के संबंध में, मुझे प्रतिस्पर्धी को सूचना जारी करने के लिए कोई अच्छा कारण नहीं मिलता। नागरिक प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 1, नियम 10, दो प्रकार की पार्टियों को जोड़ने का प्रावधान करता है, यानी, (1) जो आवश्यक पार्टी हैं, जो जोड़ी जानी चाहिए थीं और जिनकी अनुपस्थिति में कोई प्रभावशाली निर्णय पूरी तरह से नहीं हो सकता, और (2) उचित पार्टियाँ, जिनकी मौजूदगी कोर्ट को मुकदमे में शामिल सभी प्रश्नों का अधिक 'प्रभावी और पूर्णतया' निर्णय करने में समर्थ बनाती है। प्रार्थी के वकील ने स्वीकार किया कि बनारसी दास पन्ना लाइ और श्रीमती चमेली के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे में एक आवश्यक पार्टी नहीं थे। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि बनारसी दास को पन्ना लाइ आदि द्वारा चलाई गई मुकदमे में डिफेंडेंट के रूप में जोड़ा जाना चाहिए, ताकि 'प्रभावी और पूर्णतया' पन्ना लाइ, आदि के बीच उत्पन्न होने वाले मुद्दों का निर्णय किया जा सके। वह सीखा जाता है कि जो यह कहते हैं कि पन्ना लाइ, आदि के खिलाफ दायर किया गया मुकदमा में एक मिलावटी फैसला जो हो सकता है, वह उनके बिक्री समझौते के मुकदमे में उनकी हानि करेगा, और इस तरह उन्हें उनके खिलाफ एक अलग मुकदमा पन्ना लाइ और श्रीमती चमेली के खिलाफ चलाने के लिए मजबूर करेगा। यदि बनारसी दास पन्ना लाइ, आदि द्वारा चलाई गई मुकदमे में डिफेंडेंट के रूप में जोड़ दिया जाता है, तो वकील के अनुसार, यह मुकदमों की अनेकता से बचाव करेगा।

मुझे डर है, यह विवाद स्वीकार नहीं किया जा सकता। नागरिक प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 1, नियम 10 के उप-नियम (2) के अनुसार, जैसा कि पहले ही देखा गया है, एक व्यक्ति को केवल दो मामलों में मुकदमे में एक पार्टी के रूप में जोड़ा जा सकता है, यानी, जब उसे जोड़ा जाना चाहिए था और नहीं जुड़ा गया था, जब वह एक आवश्यक पार्टी होता है, 'या' जब उसकी अनुपस्थिति में मुकदमे में पूरी तरह से नहीं निर्णय हो सकता। मेरी राय में, किसी और केस में एक पार्टी को जोड़ने का कोई अधिकार नहीं है केवल इस कारण से कि यह तीसरे व्यक्ति को अलग-अलग मामले के निर्णय की मांग करने के लिए अलग-अलग मुकदमा के खर्च और परेशानी बचा सकता है, जो मुकदमे में सीधे और सार्वभौमिक रूप से मुद्दों में नहीं था। इस संदर्भ में प्रमुख प्राधिकरण अंग्रेजी मामले, Moser v. Marsden (4) पर है। उस मामले में प्लेंटिफ पटेंटी थे। उन्होंने एक मशीन के उपयोग के लिए एक डिफेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, जिसे उन्होंने अपने पेटेंट का उल्लंघन माना था।

डिफेंडेंट की मशीन के निर्माता और पेटेंटी एम. ने डिफेंडेंट के रूप में जोड़ने के लिए आवेदन किया, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि मुकदमे में एक निर्णय उन्हें हानि पहुंचा सकता है, और वर्तमान डिफेंडेंट मुकदमे को सही ढंग से नहीं बचाएगा। यह तब कहा गया कि एम., प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच मुद्दों में सीधे रूप से नहीं विशेष होने के बावजूद, केवल अप्रत्यक्ष और वाणिज्य रूप से प्रभावित होने वाले, कोर्ट को उन्हें डिफेंडेंट के रूप में जोड़ने का कोई प्राधिकरण नहीं था। उस मामले में निर्णय अध्यादेश XVI, नियम 11, से संबंधित था, जो की नागरिक प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 1, नियम 10(2) के समान है। लार्ड जस्टिस लिंडली के निम्नलिखित टिप्पणियाँ उपयोगी होंगी:—

"...... यह नहीं कहा जा सकता कि मामला उस नियम के उस हिस्से में आता है जो संदेश देता है कि अदालत किसी भी पार्टी के नाम, चाहे वह प्रतिद्वंद्वी हो या नामयाची, को जोड़ने का आदेश दे सकती है, 'जिन्हें जोड़ दिया जाना चाहिए था।' किसी भी दृष्टि में कहा नहीं जा सकता कि मोंटफोर्ट्स को इस मुकदमे की पार्टी के रूप में जोड़ दिया जाना चाहिए था। लेकिन नियम के निम्नलिखित शब्दों पर भरोसा किया जाता है, जो पार्टियों के नाम जोड़ने का प्रावधान करते हैं, 'जिनकी उपस्थिति मुकदमे में अनिवार्य हो सकती है ताकि अदालत सभी प्रश्नों का प्रभावी और पूर्णतया निर्णय कर सके जो मामले में शामिल होते हैं।' लेकिन इस मामले में कौन सा प्रश्न शामिल है। प्रश्न, और एकमात्र प्रश्न है कि मार्सडेन जो कुछ कर रहा है, क्या वह प्लेंटिफ के पेटेंट का उल्लंघन है. . . क्या कहा जा सकता है कि नियम विवादित के बिना एक डिफेंडेंट के खिलाफ प्रोसीड करने की प्लेंटिफ को बाध्य करता है, जिसका कोई भी तरीके से भी इस एक्शन से प्रभावित हो सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। आवेदक के वकील ने अपनी बात को उस आरोप पर आधारित किया था कि मोंटफोर्ट्स का हित इस मुकदमे में निर्णय से प्रभावित होगा। सच है कि उसका हित व्यापारिक रूप से एक फैसले से प्रभावित हो सकता है, लेकिन क्या कहा जा सकता है कि यह कानूनी रूप से प्रभावित होगा? क्या हम नियम को इतना तौलिये पर खींच सकते हैं कि हर व्यक्ति जिसे एक निर्णय अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा, वह डिफेंडेंट के रूप में जोड़ा जा सकता है?"

मैं उपरोक्त टिप्पणी से सहमत हूँ। मोसर के मामले में यही कानून है। भारत में इस मुद्दे पर कानून भी यही है, अर्थात्, यह कि कोई व्यक्ति डिफेंडेंट के रूप में जोड़ा नहीं जा सकता केवल इस कारण से कि वह अनुपस्थिति में निर्णय से प्रभावित होगा।

इसके अतिरिक्त, अगर बनारसी दास, पन्ना लाई द्वारा शुरू किये गए मुकदमे में डिफेंडेंट के रूप में जोड़ा जाए, तो यह एक नया कारण विधि का प्रस्ताव होगा। तब अदालत को जांचनी होगी कि श्रीमती चमेली की समझौता बनारसी दास के साथ किस परिस्थितियों में हुई थी, जिस जांच से पन्ना लाई और बनवारी लाई का कोई संबंध नहीं था। ऐसा करना पन्ना लाई के मामले को पूरी तरह से बदल देगा और सारांश में, उसे एक अलग मोलभूट में बनारसी दास और श्रीमती चमेली के बीच एक भिन्न विवाद में खींच लेगा।

इस मुद्दे पर उच्च न्यायालयों के बीच विचार का अंतर है, कि क्या अदालत को निर्देशित किया जा सकता है अदालत द्वारा पर्दा। नियम 1, नियम 10, नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत जब प्लेंटिफ उसके जोड़े जाने के खिलाफ हो। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने Sampatbai v. Badhu Singh (5) में और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने Razia Begum v. Anwar Begum (6) में यह मान्यता दी है कि अगर उन्हें लगता है कि उसकी मौजूदगी मामले को निपटाने के लिए आवश्यक या उचित है, तो अदालत को पार्टी को जोड़ने का अधिकार है, और अगर प्लेंटिफ सहमति नहीं देता है तो भी उपरोक्त नियम के अंतर्गत एक आदेश दिया जा सकता है। दूसरी ओर, मद्रास उच्च न्यायालय ने Pryaga Dass v. Board of Commissioners (7), Abdul Razak v. Mohammad Shah (8), मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने Mujtabai Begum v. Mehbab Rehman (9), और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने Motiram Roshanlal Coal Co., v. District Committee, Dhanbad (10), में यह माना है कि कोई व्यक्ति डिफेंडेंट के रूप में नहीं आ सकता, अगर प्लेंटिफ नहीं चाहता है, और अगर वह एक अनिवार्य पार्टी है, तो मुकदमा उसके अनजोइंडर के कारण निष्फल होना चाहिए।

मैं एक मध्यम मार्ग अपनाना पसंद करूंगा और सोना युग्म को खींचू। एक नियम के रूप में, अदालत को साधुता के साथ प्लेंटिफ को डिफेंडेंट के रूप में व्यक्ति नहीं जोड़ना चाहिए। कारण यह है कि प्लेंटिफ डोमिनस लिटिस होता है। वह मामले का मालिक होता है। उसे उस व्यक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिसके खिलाफ वह लड़ना नहीं चाहता है और जिसके खिलाफ वह किसी भी राहत का दावा नहीं करता है। अगर प्लेंटिफ की प्रतिक्रिया को पार्दा कर दिया जाए, तो यह अयोग्य अमल को प्रोत्साहित करने के लिए होगा, जो तीसरे पक्षों के अवांछनीय विवादों को वेंटिलेट करने के लिए एक प्रीमियम रखेगा, जो किसी ने अपने खर्चे पर दूसरे के खिलाफ शुरू किया हो।

उप-नियम (2) में 'मे' शब्द एक विवेक को सूचित करता है। इस विवेक का उपयोग करते समय, अदालतें स्थायी रूप से प्लेंटिफ की इच्छा को मामले में तीसरे व्यक्ति को डिफेंडेंट के रूप में जोड़ने से पहले विचार करेंगी। केवल असाधारण मामलों में, जहां अदालत को पार्टियों के बीच विवाद को प्रभावी और पूर्णतः निर्णय करने के लिए नए डिफेंडेंट को जोड़ने की वास्तव में आवश्यकता है, वह प्लेंटिफ की सहमति के बिना भी व्यक्ति को डिफेंडेंट के रूप में जोड़ेगी। उसमें ऐसे असाधारण मामले का एक उदाहरण Razia Begum v. Anwar Begum (6) में दिया गया है। उस मामले में, प्लेंटिफ ने यह घोषणा की थी कि वह डिफेंडेंट की विधवा पत्नी हैं, और आवेदक को डिफेंडेंट के रूप में जोड़ा जाना चाहिए था। आवेदक ने दावा किया था कि वह डिफेंडेंट की एक और विवाहित पत्नी हैं। यह प्रार्थना उस कारण से स्वीकृति प्राप्त की गई थी कि पार्टी के स्थिति का घोषणा अधिक या कम

रूप में काम करती है और आगे के पीढ़ियों के लिए प्रभाव डालती है। मेरे सामने का मामला उस तरह का असाधारण मामला नहीं है।

फिर भी, जिस मुद्दे पर बात हुई है, उसके एक और पहलू है जिस पर अधिग्रहित उप-अधीक्षक ने अपने आदेश में विचार किया है। बनारसी दास को अभी तक वह संपत्ति जिस पर उसका विशिष्ट प्रदर्शन के मामले में हक है, उसमें कोई प्राप्त अधिकार नहीं है। वह अभी तक अपना हक स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। अब तक उसका हक केवल नामांकन है। इसलिए, उसे कहा नहीं जा सकता कि पन्ना लाई के मुकदमे में डिफेंडेंट के रूप में जोड़ने से उसका कोई कानूनी हक प्रभावित होगा।

इस सभी उपरोक्त कारणों के लिए, मुझे इस याचिका में कोई बालती नहीं दिखाई दी, जिसे मैं यहां सीमित में खारिज कर रहा हूँ।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

भुवनेश सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

नारनौल, हरियाणा

(!) A.I.R. 1951 P u ^ 352;

(2) 1968 PJL.R. 98.

(3) 1926 P.C. 142

(4) (1892) CHP. 487

(5) A.I.R. 1960 J. & K. 67.

(6) A.I.R. 1958 A.P. 195.

(7) A.I.R. 1950 Mad. 34.

(8) A.I.R. 1962 Mad. 346.

(9) A.I.R. 1939 M.P. 359.

(1 0) A.I.R. 1962 A.P. 357.